डाक विभाग द्वारा पंजीकृत, पंजीक. संख्या : UNA/007/20
RNI No. HPHIN/2004/

Best Quality
PVC Garden Pipe

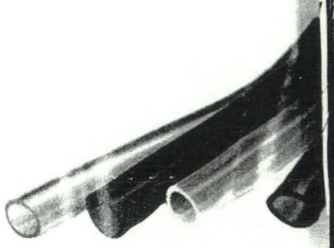

गरुड़

न सर्दी में टूटे
न गर्मी में हो चिपचिपी

A-PLAS

गर्मी हो या सर्दी
रहे सदा उपयोगी

आपके लाभ में हमारी सफल

ARNAV UDYOG

94, Industrial Area, Mehatpur, Distt Una, HP Mob - 98052 38

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामित्व भोलानाथ कश्यप। छाबड़ा कम्प्यूटरज़ एण्ड प्रिंटर्ज़, जालन्धर से मुद्रित एवं 94, औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर, हि
से प्रकाशित। सम्पादक : भोलानाथ कश्यप

ISSN 2249-5169 ₹ 25

समाज धर्म

वर्ष 10 अंक 6
मार्च 2014

समाज-धर्म

महिला सशक्तिकरण की ओर

.....

नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता

अहसास उसे कुछ अधिक तीव्रता से होने लगा। इसी कारण वह पुरुष प्रधान संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह कर उठी है और इसी विद्रोह ने नारी-मुक्ति आंदोलन को जन्म दिया। सामाजिक पराधीनता, पुरुष अधीनस्थता, प्रचलित आदर्श, विश्वासों, मान्यताओं और मूल्यों के बंधन से नारी को मुक्त करने का प्रयास ही नारी-मुक्ति आंदोलन है, जिसमें पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन दृष्टिगोचर होता है। यह आंदोलन लैंगिक समानता का पक्षधर है तथा इस समानता को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि की मांग करता है। इसीलिए आज के युग को 'महिला जागरण युग' कहा जाता है। नारी के अधिकारों के प्रति नवीन चेतना सर्वप्रथम पश्चिम में दिखाई पड़ती है।

आधुनिक काल में औद्योगीकरण तथा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण मानव समाज में वैज्ञानिक विचारधारा का भी विकास धीरे-धीरे होने लगा। आज नारी वैज्ञानिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आदि प्राय: सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिला कर आर्थिक प्रगति कर रही है और आत्मनिर्भर हो रही है। कहते हैं कि हर विजेता के पीछे नारी है, लेकिन कहने में कदापि संदेह नहीं नारी ही विजेता रही है हर काल में, हर क्षेत्र में और हर देश में।

शोधछात्रा
अविनाशी लिंगम यूनिवर्सिटी फर उमेन, कोयंबत्तूर
बि०एन० शास्त्री वरिष्ट प्रबंधक (ऋण)
आँचलिक कार्यालय: रमगास वेस्टएण्ड,
साईबाबा कालोनी, कोयंबत्तूर

पं० जगन्नाथ भारद्वाज स्मारक सामाजिक जागृति सम्मान

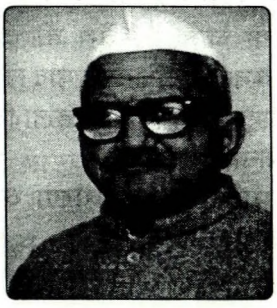

सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति से सम्बद्ध साहित्य के क्षेत्र में समाज धर्म में प्रकाशित श्रेष्ठ लेखक को दिये जाने वाले इस सम्मान की स्थापना श्रीमती सुदेश कश्यप ने अपने पिता पं० जगन्नाथ भारद्वाज की स्मृति में की है। यह सम्मान 2 अक्तूबर को प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव में किसी एक विद्वान को दिया जाता है।

- सम्पादक

प्रगति पथ पर नारी

- डॉ० शान्ति जी०

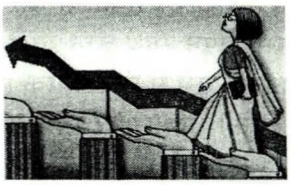

स्त्री समाज की शक्ति है। किसी भी समाज के विकास स्तर को समझने के लिए उसमें नारी की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। नारी कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती है। प्राचीन समय में नारी का गरिमामय जीवन एक आदर्श था। 19 वीं शती तक भारतीय नारी की स्थिति पुराणों द्वारा शोषित थी। 20 वीं शती में उसकी स्थितियों में जो परिवर्तन हुआ वह नव जागरण के कारण था। भारतीय नारी जागरण के सन्दर्भ में राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती और स्वामी विवेकानन्द के कार्यों का ऐतिहासिक महत्व है। 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में शिक्षा की उन्नति के साथ-साथ नारी की स्थिति में भी सुधार हुआ।

स्वतंत्रता के पूर्व तो नारी का विकास केवल चारदीवारी तक ही सीमित था। स्वतन्त्रता के बाद से नारी के विकास में तेजी से बदलाब आया तथा क ई कुरीतियों पर रोक एवं नये नियम पारित किये गये। आज आधुनिक समय में हमारा समाज संचार क्रान्ति, उपभोक्तावाद, भू-मण्डलीकरण के परिणामस्वरूप अकलपनीय रूप से बदल चुका है। नारी समाज भी इन हालातों से अछूता नहीं है। आधुनिक समाज में नारी ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ पायी हैं। अपनी पहचान बनाई है। वह हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ रही है।

स्त्री सशक्तीकरण से तात्पर्य 'महिलाओं की पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है।

भारत में स्त्री सशक्तीकरण:-

(1) भारत में स्त्री सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है।

(2) चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, अंतरिक्ष, खेलकूद, राजनीति आदि क्षेत्रों में महिलाओं की श्रेष्ठतम उपलब्धियों ने सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें पुरुषों के समकक्ष अवसर मिले तो वे अपने दायित्वों का निर्वाह अधिक अच्छे ढंग से कर सकती हैं।

नारियों के विकास में अशिक्षा, आर्थिक पराधीनता, बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, वैवाहिक प्रथायें जैसे अनेक बाधक तत्त्व पाये जाते हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठनों एवं राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनेक नारी समस्याओं को उठाया गया। 1980 से 1990 के दशक में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि आयी।

भारत के संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकारा कि राष्ट्र के विकास के लिए, महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाये और इसी उद्देश्य से संविधान की धारा, 14,15 एवं 16 में महिलाओं के लिए समानता, स्वतन्त्रता और न्याय की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कामकाजी महिलाओं के अधिकार, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, प्रसूति सुविधाएँ, गर्भ का चिकित्सीय समापन, विवाह एवं तलाक सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, जैसे महिलाओं के लिए आज अनेक अधिकार हैं।

पर यह कितनी महिलाओं को मालूम है। आज चारों तरफ शिक्षा की बात हो रही है। कानूनी जानकारी उसी का एक अंग है। कानूनी जानकारी की जरूरत इसलिए है ताकि हमें अपने हकों के बारे में मालूम हो। हम अपने साथ होने वाले अत्याचारों को कानूनी ढंग से निपटा सकें। संविधान ने औरतों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बहुत से कानूनी हक दिए हैं, पर आज भी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें ये मालूम नहीं है। जिन्हें मालूम हैं, वे भी पूरे ढंग से उपयोग नहीं करतीं।

महिला सशक्तिकरण के नारे से या नीति से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। लाभ उसी दशा में प्राप्त होगा जब हमारे सभी वर्गों की महिलाएँ शिक्षित हों और अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए जागरूक हों। इसके लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा और अपने किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध पूर्ण मानसिक मजबूती के साथ खुला विरोध करना होगा। तभी वास्तविक रूप से महिला सशक्तिकरण की अवधारण सही सिद्ध होगी।

– श्री अविरामी इल्लम
2/179, बी–2, वानप्रस्थ रोड़
वड़वल्लि, कोयम्बतूर – 41

मीडिया पर यौनाचार का इतना अधिक प्रचार महिलाओं के हित में नहीं

– दीपक जालन्धरी

ऐसा लगता है कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर था और अन्तर रहेगा। हम नारी शक्ति की बातें तो बहुत करते हैं परन्तु उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने से संकोच ही करते रहते हैं। हमारे मन में यह बात बहुत गहरी बैठ चुकी है कि अबला कभी भी सबला नहीं हो सकती। हम लाख झांसी की रानी की बातें करते रहें, गौरी और गंगा की गाथाएं दोहराते रहें हमने हृदय से कभी भी नारी को वह स्थान नहीं दिया जिसकी वह अधिकारी हैं।

हम अभी तक यह भी नहीं कबूल कर सके कि यह इक्कसवीं शताब्दी है और आधुनिकता अपनी चरम सीमा पर आ गई है। आज की महिला फैशन, मॉड्रन शैली, डिज़ाइनर सोच और इंटरनेट से गहरा लगाव रखती है। हमारे देश की आधी आबादी आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही है परन्तु खेद का विषय यह है कि वह अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रही हैं। शादी का झांसा और नौकरी का दिलासा कहां यह कहता है कि शारीरिक सम्बध बनाए जाए फिर कई मास या वर्षों तक नारी जगत को भी इसके खिलाफ दृड़ संकल्प के साथ उठना होगा ताकि कोई व्यक्ति प्रलोभन देकर उसका शोषण न कर सके। खेद की बात है कि ऐसा प्रलोभन देने वालों में राजनेता, बड़े अधिकारी व बड़े कारोबारी तो थे ही अब जजों व पत्रकारों का नाम भी आने लगा, इस पर गम्भीरता से चिन्तन की जरूरत है। ज़रा समाचार पत्रों में बार-बार दोहराई जाती खबरों को देखिये तो आपको पता चलेगा महिलाएं निरंतर यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। देश में यौनाचार और दुराचार बहुत बढ़ गया है। नारी कहीं भी सुरक्षित नहीं। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि हमारे देश में महिलाएं यदि इतनी ही असुरक्षित हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगीं।

एक अनुमान के अनुसार भारतीय बैंक तथा हल्के फुल्के उद्योग धंधे में महिलाएं ही आगे आईं हैं। 14 प्रतिशत ही